



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं./88/2021

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, बिहारशरीफ।

पटना 14, दिनांक-

विषय - वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिलान्तर्गत हाजीपुर NH-22-बछवाड़ा NH-122B भाया महनार-मोहिउद्दीनगर (0.00-72.95 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 97.3934 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/129045/2021/1079 दिनांक 28.04.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 97.3934 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भाग (भाग-A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A में 1-7 शर्तें तथा भाग-B में 1-10 शर्तें अधिरोपित हैं जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A के शर्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा रुपये 1,95,82,792/- मात्र एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा रुपये 3,25,40,712/- मात्र अर्थात् कुल रुपये 5,21,23,504/- (रुपये पाँच करोड़ इक्कीस लाख तैईस हजार पाँच सौ चार) मात्र का क्षतिपूरक वनीकरण संबंधित का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु० 388/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतये होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A के शर्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 97.3934 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 9.57780 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रुपये 9,32,81,451 /- (रुपये नौ करोड़ बत्तीस लाख इक्कासी हजार चार सौ एकावन) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रु० 14,54,04,955/- (रुपये चौदह करोड़ चौवन लाख चार हजार नौ सौ पचपन) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

5. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-7 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-10 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

Received
4/5/23 J.E. NH Division
Oxleyanbgh.

विश्वासभाजन,
ह०/-
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक- व.सं./88/2021

दिनांक-

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली/समस्तीपुर/बेगूसराय/वन संरक्षक, सीवान एवं मुजफ्फरपुर को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक- व.सं./88/2021- 325

दिनांक 04/05/2023

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

4/5/23
mob-7004194120